

अध्याय 12: निर्वाचन तंत्र — निर्वाचन आयोग, मतदान व्यवहार एवं निर्वाचन सुधार — शॉर्ट नोट्स

1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI): संवैधानिक स्थिति, संरचना एवं नियुक्ति कानून 2023

आयाम / पहलू	संवैधानिक प्रावधान, कानूनी ढांचा एवं ऐतिहासिक विकास
संवैधानिक पद व स्थापना	25 जनवरी 1950 को स्थापना (अतः 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है); भाग XV, अनुच्छेद 324 से 329; एक स्थायी व स्वतंत्र संवैधानिक निकाय
चुनाव अधिकार क्षेत्र	संसद (लोकसभा व राज्यसभा), राज्य विधानमंडलों (विधानसभा व विधान परिषद), राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन; (नोट: पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग SEC द्वारा कराए जाते हैं)
संरचना का विकास	1950 से 1989: 1-सदस्यीय; 16 अक्टूबर 1989: 3-सदस्यीय बना; 1990: पुनः 1-सदस्यीय; 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से 3-सदस्यीय (1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) + 2 निर्वाचन आयुक्त (ECs)); तीनों के अधिकार, वेतन व शक्तियां बराबर
अनूप बरनवाल वाद (2023)	सर्वोच्च न्यायालय की 5-जज संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) व निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री + नेता प्रतिपक्ष (LoP) + मुख्य न्यायाधीश (CJI)) की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे
नियुक्ति अधिनियम 2023	मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें) अधिनियम 2023: 3-सदस्यीय चयन समिति = प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) + लोकसभा में विपक्ष का नेता (LoP) + प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (CJI के स्थान पर मंत्री)

2. कार्यकाल, सेवा शर्तें, पदमुक्ति एवं स्वतंत्रता के सुरक्षोपाय

विषय	संवैधानिक नियम	विहित प्रक्रिया एवं कानूनी संरक्षण
कार्यकाल एवं आयु	अनु. 324(5)	पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूरी हो); त्यागपत्र राष्ट्रपति को; सेवानिवृत्ति पश्चात सरकार में अन्य नियुक्ति पर संविधान मौन है
वेतन एवं विशेषाधिकार	विधिक प्रावधान	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन-भत्ते व पेंशन; कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता
मुख्य आयुक्त (CEC) को हटाना	संवैधानिक सुरक्षा	मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को केवल उसी रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत); साबित कदाचार या असमर्थता
अन्य आयुक्तों (ECs) को हटाना	सीमित सुरक्षा	अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (CEC जैसी स्वतंत्र सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्राप्त नहीं है)

3. निर्वाचन आयोग के कार्य, शक्तियां एवं चुनावी तकनीक (EVM/VVPAT)

शक्तियों का वर्गीकरण	प्रमुख कार्य, चुनावी तकनीकी व्यवस्था एवं विधिक अधिकार
प्रशासनिक शक्तियां	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन; मतदाता सूची तैयार व अद्यतन करना; चुनाव तिथियों की घोषणा; आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू करना; मतदान केंद्रों का निर्धारण; चुनावी धांधली पर पुनर्मतदान का आदेश
सलाहकारी शक्तियां	अनुच्छेद 103: संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देना; अनुच्छेद 192: राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देना (आयोग की सलाह राष्ट्रपति/राज्यपाल हेतु बाध्यकारी)
अर्थ-न्यायिक शक्तियां	राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना व मान्यता देना; चुनाव चिन्ह आवंटन व विवादों का निपटारा (उदा. सादिक अली वाद 1971 — दल में संगठनात्मक व विधायी बहुमत का परीक्षण)
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)	प्रथम प्रयोग 1982 केरल के पारूर उपचुनाव में; 2004 के लोकसभा चुनाव से देश भर में पूर्ण प्रयोग; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित; स्टैंड-अलोन मशीन
वीवीपीएटी (VVPAT)	वोटर वेरिफ़ेएबल पेपर ऑडिट ट्रेल: प्रथम प्रयोग 2013 नागालैंड के नोकसेन में; मतदाता को 7 सेकंड तक पर्ची दिखती है; 2019 आम चुनाव से शत-प्रतिशत (100% VVPAT) अनिवार्य
नोटा (NOTA — None of Above)	सर्वोच्च न्यायालय के पीयूसीएल (PUCL) वाद 2013 के निर्णय के बाद मतपत्र तथा (EVM) में शामिल; मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का नकारात्मक अधिकार

4. निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय

न्यायिक वाद / वर्ष	संवैधानिक मुद्दा	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं नीतिगत प्रभाव
मोहिंदर सिंह गिल वाद (1978)	अनुच्छेद 324 का दायरा	अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु व्यापक अंतर्निहित/अवशिष्ट शक्तियां देता है, जहाँ संसदीय कानून मौन हो
एडीआर वाद (ADR 2002)	मतदाताओं का सूचना अधिकार	उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति-देनदारियों व शैक्षणिक योग्यता का शपथपत्र (Affidavit) देना अनिवार्य; अनु. 19(1)(a) का भाग
लिली थॉमस वाद (2013)	जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 8(4)	2 वर्ष या अधिक सजा पाने वाले सांसद/विधायक की सदस्यता तत्काल समाप्त; अपीलीय संरक्षण देने वाली धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया

न्यायिक वाद / वर्ष	संवैधानिक मुद्दा	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं नीतिगत प्रभाव
चुनावी बॉन्ड वाद (2024)	गुप्त राजनीतिक वित्तपोषण	इलेक्टरल बॉन्ड योजना (2018) पूर्णतः असंवैधानिक घोषित; मतदाताओं के जानने के अधिकार का उल्लंघन माना; स्टेट बैंक (SBI) को समस्त दान विवरण सार्वजनिक करने का आदेश

निर्वाचन संबंधी प्रमुख अनुच्छेद (324–329): अनु. 324 (चुनाव आयोग का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण); अनु. 325 (धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में कोई भेदभाव नहीं); अनु. 326 (वयस्क मताधिकार — 18 वर्ष, 61वें संशोधन 1988 द्वारा); अनु. 327 (संसद की चुनाव कानून बनाने की शक्ति); अनु. 328 (राज्य विधानमंडल की शक्ति); अनु. 329 (चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक; चुनाव केवल चुनाव याचिका Election Petition द्वारा चुनौती योग्य)।

5. मतदान व्यवहार (Voting Behaviour): अर्थ, निर्धारक कारक एवं सैद्धांतिक मॉडल

पहलू / कारक	विधिक व राजनीतिक विश्लेषण एवं भारतीय संदर्भ
अवधारणा एवं अर्थ	मतदाताओं द्वारा मतदान करते समय राजनीतिक दलों, नीतियों व उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय लेने की प्रक्रिया व रुझान
जाति (Caste)	भारतीय मतदान का सर्वाधिक प्रभावशाली पारंपरिक कारक; 'भारत में लोग अपनी जाति पर वोट देते हैं, न कि वोट की जाति पर' (रजनी कोठारी); जातिगत गोलबंदी व टिकट वितरण
धर्म (Religion)	धार्मिक पहचान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, बहुसंख्यक राष्ट्रवाद एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का चुनावी परिणामों पर सीधा प्रभाव
करिश्माई नेतृत्व (Leadership)	मजबूत, निर्णायक व करिश्माई नेता की छवि के आधार पर मतदान (उदा. 1971 इंदिरा गांधी, 2014 व 2019 में नरेंद्र मोदी)
कल्याणकारी नीतियां व रेवड़ी	मुफ्त बिजली, राशन, नकद अंतरण (DBT) व कर्ममाफी योजनाओं का मतदाताओं के तत्कालिक निर्णय पर भारी प्रभाव
प्रमुख सैद्धांतिक मॉडल	1. समाजशास्त्रीय मॉडल (Sociological — जाति, धर्म, वर्ग प्राथमिक), 2. मनो-सामाजिक मॉडल (Psychosocial — दल से भावनात्मक लगाव), 3. तार्किक चयन मॉडल (Rational Choice — व्यक्तिगत लाभ-हानि का आकलन)

6. प्रमुख निर्वाचन सुधार समितियां एवं आयोग

समिति / आयोग	वर्ष	प्रमुख संस्तुतियां एवं नीतिगत सुधार
तारकुंडे समिति	1975	जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित; मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने तथा चुनाव आयोग को 3-सदस्यीय बहु-सदस्यीय बनाने की सिफारिश
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	मतदान मशीन (EVM) का व्यापक प्रयोग; अवैध हथियार रखने व बूथ कैप्चरिंग पर कठोर दंड; उपचुनाव 6 माह में कराना; निर्दलीय उम्मीदवारों पर प्रतिबंध
इंद्रजीत गुप्त समिति	1998	चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य दलों के लिए 'चुनावों का आंशिक राज्य वित्तपोषण (State Funding)' की सिफारिश
विधि आयोग 170वीं व 255वीं रिपोर्ट	1999, 2015	राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र अनिवार्य करना; दल-बदल कानून को कठोर बनाना; पेड़ न्यूज व चुनावी विज्ञापनों पर नियंत्रण; हलफनामों की जांच
न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति	2013	महिलाओं के विरुद्ध गंभीर लैंगिक अपराधों में आरोप तय होने पर जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की सिफारिश

7. भारत में क्रियान्वित प्रमुख निर्वाचन सुधार (Electoral Reforms)

सुधार का क्षेत्र	वर्ष / कानूनी प्रावधान	प्रशासनिक प्रभाव एवं विधिक परिवर्तन
मतदान आयु में कमी	61वां संशोधन 1988	अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
(EVM) एवं (VVPAT)	2004, 2019	मतपत्रों व बूथ कैप्चरिंग की धांधली समाप्त; मतगणना में तीव्र पारदर्शिता
आपराधिक रिकॉर्ड प्रकटीकरण	2002 (ADR वाद)	उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक मामले, संपत्ति, देनदारी व शिक्षा सार्वजनिक करना अनिवार्य
नोटा (NOTA) का प्रावधान	2013 (PUCL वाद)	सभी प्रत्याशियों को नकारने का संवैधानिक अधिकार मतदाताओं को मिला
डाक मतपत्र विस्तार	2020	80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों व 40% से अधिक दिव्यांगों हेतु घर से मतदान सुविधा
चुनावी बॉन्ड का खात्मा	2024	असीमित व गोपनीय कॉरपोरेट फंडिंग पर रोक; राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता

8. एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation, One Election — ONOE)

पहल / आयाम	कोविंद समिति (मार्च 2024) संस्तुतियां एवं संवैधानिक विश्लेषण
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1952, 1957, 1962 एवं 1967 तक देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए; 1968-69 में समय से पूर्व विघटन से यह चक्र टूट गया
कोविंद समिति रिपोर्ट	पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में 18,626 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी
दो चरणों में चुनाव	चरण 1: लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराना; चरण 2: इसके 100 दिनों के भीतर सभी स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के चुनाव

पहल / आयाम	कोविंद समिति (मार्च 2024) संस्तुतियां एवं संवैधानिक विश्लेषण
साझा मतदाता सूची	अनुच्छेद 325 में संशोधन कर लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों हेतु एक 'एकल साझा मतदाता सूची (Single Electoral Roll)' व मतदाता पहचान पत्र बनाना
हंग/अविश्वास की स्थिति	त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव पर यदि मध्यावधि चुनाव हों, तो नई सरकार केवल 'शेष अप्रयुक्त कार्यकाल (Unexpired Term)' हेतु ही बनेगी
संविधान संशोधन आवश्यकता	अनुच्छेद 83 (संसद कार्यकाल), 85 (विघटन), 172 (विधानसभा कार्यकाल), 174 (विघटन), 324A (स्थानीय निकाय) में संशोधन; स्थानीय निकाय संशोधन हेतु 50% राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य

8. ONOE: पक्ष एवं विपक्ष के तर्क (Arguments)

पक्ष के तर्क (Arguments For)	विपक्ष के तर्क (Arguments Against)
चुनावी व्यय में भारी बचत; बारंबार आदर्श आचार संहिता (MCC) से विकास कार्य नहीं रुकेंगे; प्रशासनिक व सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती से मुक्ति; नीतिगत निरंतरता	संघात्मक ढांचे व क्षेत्रीय स्वायत्तता को आघात; राष्ट्रीय मुद्दों के आगे स्थानीय मुद्दे गौण होने का खतरा; 5 वर्ष से पूर्व सरकार गिरने पर समाधान जटिल

निर्वाचन सुधारों का मूल निष्कर्ष: निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा हैं। धनबल, बाहुबल और मुफ्त उपहारों (Freebies) की राजनीति पर प्रभावी नियंत्रण तथा चुनाव आयोग की संस्थागत स्वायत्तता अक्षुण्ण बनाए रखना ही भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का स्थायी आधार है।